

फैक्स
अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प017(1) शिक्षा-1/जनरल/2014-15

जयपुर, दिनांक : 06/01/2015

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015- मतदान दलों की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज0, जयपुर के पत्र क्रमांक: एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/14/9772 दिनांक 24.12.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों, ग्राम पंचायतों के सरपंचों/वार्ड पंचों, उपसरपंचों तथा जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख/प्रधान/उप प्रधान) के आम चुनाव करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा 24.12.2014 को कर दी गई है। मतदान डूंगरपुर, बांसवाडा एवं जैसलमेर जिलों में दो चरणों में सम्पन्न होगा। प्रत्येक चरण में प्रथम दौर में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए एक दिन तत्पश्चात् दूसरे दौर में सरपंच एवं पंचों के लिए एक दिन में मतदान होंगे। पंच/सरपंच चुनाव के आगामी दिवस को उपसरपंच का चुनाव होगा।

उक्त चुनावों हेतु मतदान संबंधित पंचायत मुख्यालयों पर होंगे तथा पंचायत मुख्यालय पर स्थित विद्यालय भवनों में मतदान केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। मतदान केन्द्रों के भवनों के उपयोग हेतु एवं उनमें मतदान दलों की रहने की व्यवस्था हेतु निर्देश जारी करें, साथ ही यह निर्देश देवे कि वे मतदान दलों को पहुँचने की तिथि से उनकी रवानगी की तिथि तक मतदान दलों को ठहराने के लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करवायें। साथ ही शाला भवन, फर्नीचर, कर्मचारियों की सेवायें आदि भी जिला निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशानुसार उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

संलग्न :- 1. चुनाव कार्यक्रम एवं सूची
2. राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र

भवदीय,

(नसीरुद्दीन कुरैशी)

शासन उप सचिव, प्रथम

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/299

जयपुर, दिनांक: 08/01/15

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(सत्यप्रकाश बसवाली)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव,